

No.NER-HQOPERS(SELB)/7/2022-DYCPO/GAZ/HQ/NER (77235)

1. महानिदेशक/भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, लालबाग, बडोदरा।
2. मुवाप्र/मुवाप्र/आहार एवं पीएस/मुवाप्र/एफएमएस/गोरखपुर।
3. अपर महाप्रबन्धक/वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक/सचिव/महाप्रबन्धक/गोरखपुर।
4. उपमुसताधि/यातायात/उपमुवाप्र/पीएस/उपमुदाधि/उपमुवाप्र/यूटीएस/प्रेजेंटिंग अधि०/गोरखपुर।
5. मंरेप्र/वमकाधि/वमवाप्र/मवाप्र/इज्जतनगर, लखनऊ, वाराणसी।
6. वकाधि/निर्माण/गोरखपुर एवं सदस्य तकनीकी, रेल दावा अधिकरण/गोरखपुर, लखनऊ, पटना
7. महाप्रबन्धक/मुकाधि/आर ई/इलाहाबाद एवं सी पी एम/आर ई/गोरखपुर एवं लखनऊ।
8. महानिदेशक/आर डी एस ओ/लखनऊ एवं महानिदेशक/इरीटम/लखनऊ।
9. टीसीओ एवं सांख्यिकीय अधिकारी/विधि अधिकारी/गोरखपुर।
10. सचिव/स्था०/रेलवे बोर्ड/नई दिल्ली एवं सलाहकार, निदेशक/सतर्कता, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।
11. मैनेजिंग डायरेक्टर कारपोरेशन, नई दिल्ली एवं मिल रेल, सेना भवन, रेलवे बोर्ड/नई दिल्ली।
12. महाप्रबन्धक, मुकाधि/मुवाप्र/पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर।
13. प्रबन्ध निदेशक/डीएफसीसीआईएल/नई दिल्ली।
14. प्रिसिपल/जेड आर टी आई/गाजीपुर एवं एसटीसी/गोरखपुर।

**विषय:-** सवाप्र, गुप-बी, 30 प्रतिशत (एल डी सी ई) कोटा के विरुद्ध चयन के सम्बन्ध में।

**संदर्भ:-** इस कार्यालय के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15.07.2022 एवं 02.12.2022

सहायक वाणिज्य प्रबन्धक, गुप-बी, 30 प्रतिशत कोटा के विरुद्ध चयन हेतु कुल 02 (दो) अनारक्षित पदों के विरुद्ध चयन की लिखित परीक्षा CBT Mode से NAIR द्वारा दिनांक 20.11.2022 को तथा मौखिक परीक्षा दिनांक-15.12.2022 के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित अभ्यर्थी चयन समिति द्वारा सवाप्र, गुप-बी, 30 प्रतिशत कोटा के रिक्ति के विरुद्ध अनन्तिम नामिका में रखने हेतु योग्य पाये गये हैं :-

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पदनाम एवं कार्यस्थल	चयन समुदाय
1	श्री धनन्जय कुमार सिंह	सीटीआई, सीसीएम/पीएम, गोरखपुर।	अनारक्षित
2	श्री आँकार नाथ वर्मा	सीसीएस/गोमतीनगर, लखनऊ।	अनारक्षित

केवल- 02 नाम मात्र।

उपरोक्त अनन्तिम नामिका मेरिट क्रमांक के अनुसार है।

**नोट:-** रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या-2018/E (SCT)1/25/9 dt.22.06.2022 में निहित निर्देशों के आलोक में उपरोक्त नामिका माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर श्री जरनैल सिंह बैच के मामले में जारी अन्तिम आदेश के अध्यक्षीन होगी।

उपरोक्त अनन्तिम नामिका महाप्रबन्धक महोदय द्वारा दिनांक 15.12.2022 को अनुमोदित है। सम्बन्धित कर्मचारी को तदनुसार सूचित कर दिया जाय।

RAJESH  
KUMAR  
PANDEY

(राजेश कुमार पाण्डेय)

सकाधि/राज०

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक